संख्या–1448 / 60–1–13–1 / 13(59) / 13

प्रेषक,

नन्दलाल प्रसाद ,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः: दिनांक 03/06/, 2014

विषयः– वेतन समिति (2008) द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों का महिला कल्याण विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग में कार्योवन्यन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–1829 / निदे0म0क0 / स्था0 / 2013–14, दिनांक 22.07.2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में की गयी संस्तुतियों पर शासनादेश सं0–वे0आ0–2–2055 / दस–54(एम)10 टी0सी0 दिनांक 08.09.2010 एवं शासनादेश सं0–वे0आ0–2–404 / दस–54(एम)108 टी0सी0 दिनांक 18.03.2011 द्वारा लिए गये निर्णय के सन्दर्भ में महिला कल्याण विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग का संशोधित / उच्चीकृत वेतन बैण्ड / ग्रेड वेतन निम्नानुसार दिनांक 18.03.2011 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

महिला कल्याण विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग में उपलब्ध फार्मासिस्ट के पद पर Entry Grade वेतनमान रू0 4500–7000 सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 तथा Entry Grade में 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नान फंक्शनल आधार पर वेतनमान रू0 5000–8000 सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य कराया जाता है।

2– उपर्युक्त निर्णय के आधार पर महिला कल्याण विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग का ढांचा निम्नानुसार किया जाता है :–

क0 स0	पदनाम / वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)	भर्ती प्रकिया / अर्हता
1	फार्मासिस्ट 4500–7000 (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800)	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अर्हता– इण्टरमीडिएट (गणित या बायोलॉजी ग्रुप) तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त 02 वर्ष 03 माह की अविध का फार्मेसी में डिप्लोमा एवं स्टेट फार्मेसी कौन्सिल उ0प्र0 पंजीयन।

3– फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों पर भी ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय लाभ शासनादेश सं0–वे0आ0–2–561/दस–62(एम) 2006, दिनांक 04.05.2010 के आलोक में अनुमन्य होगें।

4– उच्चीकृत वेतनमानों में सम्बन्धित पद धारकों का वेतन शासनादेश सं0–वे0आ0–2–341/दस–2009–59(एम) 2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जाएगा।

5– सम्बन्धित सेवानियमावली में उपरोक्तानुसार यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जाएगा।

6– यह शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 की अशासकीय सं0–बे0आ0–247/दस–2014, दिनांक 03.04.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या–1448(1)/60–1–2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, लखनऊ।
4– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
5– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।